भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1221
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लैंगिक मुख्यधारा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

1221. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा आयोजित लैंगिक मुख्यधारा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन से कोई विशिष्ट परिणाम निकले हैं और सिफारिशें सामने आईं हैं;

(ख) क्या सरकार की योजना लिंग-संवेदनशील सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई रणनीतियों को कार्यान्वित करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूती देने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्राम संगठनों (वीओ) की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सम्मेलन के दौरान अवैतनिक देखभाल कार्य और वेतन अंतर जैसी महिला सशक्तीकरण की पहचानी गई बाधाओं को किस सीमा तक दूर करने की संभावना है;

(ङ) सभी एनआरएलएम मिशन कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और संस्थागत हितधारकों को लैंगिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने ग्रामीण समुदायों के भीतर पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने हेतु पुरुषों, बालकों और युवा वर्ग को संलग्न करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): लैंगिक रूप से संवेदनशील समुदाय संस्थागत तंत्र विकसित करने तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए अंतर-मंत्रालयी अभिसरण हेतु दूरदर्शी कार्यनीति विकसित

करने के उद्देश्य से लैंगिक मुख्यधारा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए की गई विशिष्ट सिफारिशों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) की योजना के भीतर जेंडर एकीकरण, अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सुदृढ़ इंटरफेस बनाना, महिलाओं से संबंधित निरंतर क्षमता निर्माण, तथा विभिन्न अधिकारों और पात्रताओं तक पहुँचने तथा अन्य मुद्दों के समाधान के लिए ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तर के संघों पर केंद्रित कार्यकलाप शामिल हैं।

(ख): जी, हां। सरकार विभिन्न प्रशिक्षण, अनुभव साझाकरण और सहायता कार्यों के माध्यम से लैंगिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ) डीएवाई-एनआरएलएम गरीब महिलाओं की संस्थाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की एक योजना है। महिला सशक्तीकरण का समर्थन करने के लिए दो आयामी दृष्टिकोण में डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत लैंगिक एकीकरण और कार्यात्मक संस्थागत तंत्र स्थापित करना शामिल है। इसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में जेंडर पॉइंट पर्सन, सखी मंच, ग्राम संगठन (वीओ) स्तर पर सामाजिक कार्य समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम, क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) स्तर पर सामाजिक कार्य समिति और ब्लॉक स्तर पर जेंडर फोरम शामिल हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों में क्षमता निर्माण, संवेदनशील बनाना , जागरूकता, सामाजिक मानदंडों की पक्षधरता और संबंधित विभागों के साथ अभिसरण शामिल हैं। जेंड़र के प्रति संवेदनशीलता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम महिलाओं को लैंगिक अवधारणा और कई जेंडर संबंधी बाधाओं को समझने में मदद करते हैं जिसमें अवैतनिक देखभाल कार्य और वेतन अंतर शामिल है। इस निरंतर क्षमता निर्माण से अधिकारों और हकों तक उनकी पहुँच बेहतर होती है और उन्हें अपनी आय, परिसंपत्ति आदि पर नेतृत्व एवं नियंत्रण रखने का अधिकार मिलता है।

(ड.) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को जेंडर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात वे एसएचजी, वीओ और सीएलएफ के सदस्यों और पदाधिकारियों को जेंडर संबंधी प्रशिक्षण देते हैं।

(च): डीएवाई एनआरएलएम में पुरुषों और लड़कों को शामिल करने के लिए कई प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में परिवार चौपाल और झारखंड में सहकर्मी समूह परामर्श शामिल हैं।